बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक-:-**15/12/2021**

प्रेषक,

सी०पी०खंडूजा,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार।

विषयः **मनरेगा एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के संबंध में ।**

प्रसंग: **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11017/06/2021-RE-VII, दिनांक 12.11.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है की अधिनियम की अनुसूची 1 (संशोधित) के पारा 4 (1) में असम्बद्ध गाँवों एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में ग्रामीण सड़क प्रदान करना तथा चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केन्द्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ने का प्रावधान है । इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़क निर्माण के कार्यों के संबंध में Advisory जारी की गयी है, जिसके आलोक में महात्मा गांधी नरेगा एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अभिसरण से सीमावर्ती सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश उपलब्ध कराये गए है जो निम्न हैं :-

1. सड़क निर्माण सबंधी कार्य केवल ग्रामीण क्षत्रों में ही किया जाना है ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण सबंधी कार्यों हेतु सीमा सड़क संगठन (BRO) PIA एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ।
3. सड़क निर्माण के कार्यों में मनरेगा से केवल अकुशल मजदूरी ही देय होगा ।
4. महात्मा गाँधी नरेगा की सभी प्रक्रियाएं एवं गैर-परक्राम्य शर्ते लागू होंगी यथा जिला पंचायत/पंचायत स्टार से योजना का अनुमोदन जिसके लिए BRO क्रियान्वयन एजेंसी के रुप में नामित है/संबंधित ग्राम पंचायत के ही जॉब कार्ड धारियों द्वारा कार्य का निष्पादन कराया जाना/ठेकेदार एवं मशीन के द्वारा कार्य नहीं कराया जाना/ जिला स्तर पर श्रम एवं सामग्री मद में 60:40 के अनुपात का अनुपालन/सामाजिक अकेंक्षण एवं कार्यों में पारदर्शिता का अनुपालन आदि ।
5. सीमा सड़क संगठन (BRO) के तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा सड़क निर्माण के कार्यों यथा- सड़क का डिजाइन तैयार किया जाना, प्राक्कलन तैयार किए जाने संबंधी, सड़क निर्माण संबंधी संरेखीय कार्यों का निर्वाहन तथा कार्यों में सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित कार्यों का अनुश्रवन किया जायेगा ।
6. योजना के तहत ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु IRC Codes/PMGSY के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है । BRO द्वारा निर्दिष्ट सड़कों के उच्च मामलें एवं ऐसे गतिविधियाँ जो अनुमानकार्यों में शामिल नहीं है किन्तु सड़क निर्माण में आवश्यक है, ऐसी स्थिति में राशी BRO के द्वारा वहन की जाएगी ।
7. सभी सड़क निर्माण कार्यो के सम्पादन की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC), मनरेगा के द्वारा ही किया जाएगा तथा निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सीमा सड़क संगठन के तकनीकी सक्षम पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा । इस बाबत जिला प्रशासन एवं सीमा सड़क संगठन के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर अभिसरण संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है ।
8. जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अभिसरण से क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवन जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता में नामित जिला स्तरीय समन्वयक समिति (DLCC) के द्वारा की जायेगी ।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं सीमा सड़क संगठन (BRO) के अभिसरण से कार्यों के क्रियायान्वयन के संबंध में उपलब्ध कराये गये दिशा-निर्देश के आलोक में अग्रत्तर करना सुनिश्चित करे। (सुलभ प्रसंग हेतु Advisory पत्र के साथ संलग्न है।)

अनुलग्नकः- **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

Signed by C P Khanduja
Date: 15-12-2021 22:13:36
Reason: Approved

(सी०पी० खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा।

प्रतिलिपि:
1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव-सह-निधि प्रबंधक, BRDS को सूचनार्थ प्रेषित।

No. J-11017/06/2021-RE-VII
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)
***

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 12.11.2021

Sub: - Advisory on convergence of Mahatma Gandhi NREGS and Border Roads Organisation (BRO)

1. **Background:** BRO constructs roads in border areas mostly keeping the defence and strategic considerations of the nation. Most border areas are rural and the infrastructures including road works are also taken up under Mahatma Gandhi NREGS in these areas. To optimize the national outcomes, there is ample opportunity to have an effective synergy and convergence between these two Schemes without diluting their own goals and objectives.

2. As per para 4(1) of the Schedule – I of the Act (as amended), following rural connectivity works are permitted under Mahatma Gandhi NREGS –

Providing all-weather rural road connectivity to unconnected villages and ***border areas*** *and to connect identified rural production centres to the existing pucca road network; and construction of pucca internal roads or streets including side drains and culverts within a village.*

3. This convergence for taking up border roads through BRO shall be implemented as per the following guidelines:

a. All these works will be carried out only in rural areas.

b. For such works under the Scheme, BRO will be the Programme implementing agency (PIA).

c. **<u>Only</u> Unskilled labour component will be made from Mahatma Gandhi NREGA.**

d. All processes and non-negotiable conditions of Mahatma Gandhi NREGA would apply (i.e. approval of projects/ works from District Panchayat/Intermediate Panchayat for which BRO is PIA, execution of works through job card holders only within the limits of the Gram Panchayat, non-engagement of contractors and labour displacement machines, maintenance of labour material ratio 60:40 at the District level, social audit, transparency and accountability etc.).

e. The technical officials of BRO would prepare technical designs, drawings/estimates and give layout of the convergent rural connectivity works under the Scheme and will ensure / monitor quality of works.

f. Quality standards for the rural roads under the Scheme are maintained and relevant IRC codes/PMGSY Guidelines are followed. In case of higher specifications of roads specified by BRO and for activities not permitted under the Scheme but required for completion of road, BRO will utilize its own funds.

g. The administrative sanction of all these works will be issued by the respective District Programme Coordinator (DPC), Mahatma Gandhi NREGS. Technical Sanction will be issued by the competent authority of BRO.

4. District Administration and BRO officials concerned shall have joint meeting, to operationalize the above convergence.

5. At the State level, the monitoring of the convergence works should be done by State Level Coordination Committee (SLCC) for convergence, headed by the Chief Secretary of the State.

6. At the District level, the monitoring of the convergence works should be done by District Level Coordination Committee (DLCC) for convergence, headed by the Collector/DPC.

(Dr Ajay Kumar)
Secretary
(Department of Defence)

(N.N.Sinha)
Secretary
(Department of Rural Development)

To,

Chief Secretaries
(All States/UTs)
Copy to –
1. Principal Secretaries/ Secretaries/ Commissioners
(in charge of Mahatma Gandhi NREGS)
Rural Development Department, All States / UTs.

2. DGBR, BRO, Department of Defence.